बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

<u>संकल्प</u>

पटना, दिनांक अक्टूबर, 2016

संख्या–1/एम02–60–09/2004 (खंड–I) गृ0आ0......................../श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (1985) तत्कालीन पुलिस उप–महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना सम्प्रति उप–निदेशक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना के विरूद्ध अनुशासनहीनता, वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन एवं अपने कार्य एवं आचरण से बल में अनुशासनहीनता फैलाने के आरोप के तहत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम 06 एवं 08 के अंतगर्त विभागीय ज्ञापांक 12132 दिनांक 11.04.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संख्या 02/2006 संचालित की गयी।

श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप की कंडिका–1, 2 एवं 4 को प्रमाणित, आरोप सं0–3 को अप्रमाणित एवं आरोप सं0–5 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया । उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से यह प्रतिवेदित हुआ कि श्री वर्मा द्वारा पुलिस महानिदेशक को अवज्ञापूर्ण पत्र भेजने एवं सरकारी पत्राचार में अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के विरूद्ध अपमानजनक एवं उपहास्यात्मक टिप्पणियॉ की गयी ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की प्रति श्री वर्मा को नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए अपनी प्रतिक्रिया 15 दिनों के अंदर समर्पित करने का अनुरोध किया गया । प्रत्युत्तर में श्री वर्मा के द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया एवं आरोपी पदाधिकारी को प्रमाणित आरापों के लिए दंड प्रस्तावित किया गया । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तावित दंड पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आयोग को भेजा गया । आयोग द्वारा मामले के जॉचोपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि सेवा के सदस्य ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये वैद्य आदेशों की अवहेलना की और अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया । सेवा के सदस्य का यह कदाचार छोटा–मोटा नहीं है बल्कि अधीनता और आदेशों की अवहेलना का एक स्पष्ट मामला है । उक्त निष्कर्ष एवं मामले के अन्य सभी संगत पहलूओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शित किया गया कि इस मामले में सेवा के सदस्य श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से पर ''उनकी पेंशन को प्रतिकूलतः प्रभावित न करते हुए असंचयी प्रभाव से समय वेतनमान में दो वर्षों की अवधि के लिए दो स्तर की अवनति किये जाने'' की शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा ।

संघ लोक सेवा आयोग के उक्त परामर्श पर श्री वर्मा से अपना अभ्यावेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया लेकिन आरोपी पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् भी आजतक कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं करायी गयी और ना ही कभी, समय याचना हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ । श्री वर्मा से अपेक्षित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मानते हुए कि उन्हें कुछ नहीं कहना है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के आलोक में श्री वर्मा पर ''उनकी पेंशन को प्रतिकूलतः प्रभावित न करते हुए असंचयी प्रभाव से समय वेतनमान में दो वर्षों की अवधि के लिए दो स्तर की अवनति किये जाने'' की शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया ।

अतः श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (1985), तत्कालीन आरक्षी उप–'महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना सम्प्रति उप–निदेशक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना पर ''उनकी पेंशन को प्रतिकूलतः प्रभावित न करते हुए, असंचयी प्रभाव से समय वेतनमान में दो वर्ष की अवधि के लिए दो स्तर की अवनति किये जाने'' की शास्ति अधिरोपित की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–09/2004 (खंड–I) गृ0आ0 /पटना, दिनांक अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–09/2004 (खंड–I) गृ0आ0 /पटना, दिनांक अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई, भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–09/2004 (खंड–I) गृ0आ0 8672 /पटना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री अजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (1985), तत्कालीन आरक्षी उप–'महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना सम्प्रति उप–निदेशक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/ आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव